राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3659/2024

राजेन्द्र कुम्हार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग, (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारंभिक शिक्षा, दौसा (राज.)।
5. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, लालसोट, जिला दौसा (राज.)।
6. पी.ई.ई.ओ. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री रामपुर, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.12.2024

आदेश की दिनांक : 16.12.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री सुखराज सिंह राठौड, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री रामपुर, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा में कार्यरत है। उनका कथन है कि

आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बासना, ब्लॉक नांगल राजावाता, जिला दौसा पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक कारण के स्थानांतरित किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर दिनांक 18.03.2015 को हुई थी और उसे पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग कार्मिक है और स्थानांतरण नीति दिनांक 01.06.2013 के विपरीत जाकर अपीलार्थी को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में स्थानांतरण किया गया है, जो उक्त नीति के विपरीत है और राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 04.01.2023 एवं 15.01.2023 के द्वारा स्थानांतरण आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण नियम विरूद्ध किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से बहस कर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और अपील खारिज फरमाये जाने की प्रार्थना की।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, श्री रामपुर, ब्लॉक लालसोट, जिला दौसा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष घोषित कर वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बासना, ब्लॉक नांगल राजावाता, जिला दौसा पदस्थापित किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में पदस्थापित/स्थानांतरण किये जाने का प्रश्न है, अनुलग्नक–4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/विकलांग है और ऐसी स्थिति में हम मामले की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार

व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य आदेश दिनांक 07.12.2024 का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है एवं अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण होने तक वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष